निदेशालय, पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या 484 /जि0पं0अनु0को0/596/2014–15
देहरादूनः दिनांक 04 मार्च, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या–291/XII(2)/2014/90 (01)/2003 दिनांक 05–10–2014 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में नियमित/मौलिक रूप से नियुक्त कर/राजस्व निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार कराने की अपेक्षा की गई है। तद्क्रम में निदेशालय के पत्र सं0–406/जि0पं0अनु0को0/596/2014–15 दिनांक 13 जनवरी, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड की जिला पंचायतों में मौलिक रूप से नियुक्त कर/राजस्व निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, प्राप्त मात्र दो आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निस्तारण किया जाता हैः–

1. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 8 पर अंकित श्री पंकज सिंह रावत द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 19–01–2015 अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल के पत्र सं0 797/एक–10/ 95–96 दिनांक 19–01–2015 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। श्री रावत द्वारा अपनी आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि उनकी पदोन्नति दिनांक 10–12–1998 को राजस्व निरीक्षक के पद पर हुई है। इस संबंध में कोई प्रमाण/साक्ष्य संलग्न नही है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायें गये सेवा अभिलेखों के अनुसार श्री पंकज सिंह रावत की पदोन्नति अध्यक्ष, जिला पंचायत, नैनीताल के आदेश सं0–840/एक–10/ 95–96 दिनांक 11–12–1998 द्वारा नियमित चयन होने तक स्थानापन्न रूप से राजस्व निरीक्षक के पद पर की गई है तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल के आदेश सं0–529/I–10/95–96 दिनांक 16–04–2001 द्वारा श्री रावत को दिनांक 04.04.2001 से राजस्व निरीक्षक के पद पर स्थाई किया गया है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त एवं समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(1) में किसी वर्ग के पदों पर ज्येष्ठता उस वर्ग के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्ति के दिनांक के अनुसार निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। पूर्व में शासन स्तर से प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची में श्री पंकज सिंह रावत की ज्येष्ठता स्थाईकरण के दिनांक 04.04.2001 से निर्धारित की गई है। अतः श्री पंकज सिंह रावत की आपत्ति स्वीकार्य नही पाई गई।

2. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 3 पर अंकित श्री हरि मोहन द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 20.01.2015 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर के पत्र सं0 4346/स्था0/2014–15 दिनांक 06–02–2015 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। श्री हरि मोहन द्वारा अपनी उक्त आपत्ति में अवगत कराया गया है कि सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद नैनीताल अंकित है जबकि उनका मूल गृह जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश है। साक्ष्य स्वरूप पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित राजस्व/कर निरीक्षकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। अभिलेखों के अनुसार इससे पूर्व शासन स्तर से निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांकित 26–11–2005 में श्री हरि मोहन का नाम नही पाया गया है परन्तु उत्तर प्रदेश के समय की ज्येष्ठता सूची दिनांकित 31–08–2000 में श्री हरि मोहन का नाम क्रमांक–121 पर दर्ज है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड तीन के नियम 81–ख (3)(i) के अनुसार एक बार की गई निवास गृह की घोषणा साधारणतः अन्तिम मानी जायेगी, किन्तु अपवादात्मक परिस्थितियों में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा ऐसी घोषणा में परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है, परन्तु यह कि ऐसा परिवर्तन सरकारी सेवक की सेवा के दौरान एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....2